<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-22 , कानपुर नगर</u>

जमानत प्रार्थनापत्र सं०-2225/2026

CNR No. UPKN01 006537 2026

रेखा पत्नी स्व० मनोज उम्र 48 वर्ष, निवासिनीः 83/28 बी०एम० मार्केट, निकट पापुलर धर्मकांटा, थाना गोविन्द नगर, कानपुर नगर। मूल निवासीः नेता जी नगर, यवतमाल, महाराष्ट्र।

.....प्रार्थिनी/अभियुक्ता

बनाम

उ०प्र० राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी), कानपुर नगर।

.....अभियोजन पक्ष

मु०अ०सं०-169/2026,
धारा-305(बी),317(2),61(2) बी०एन०एस०,
थाना-नौबस्ता, कानपुर नगर।

<u>04.07.2026-</u>

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र मय पूरक शपथपत्र दिनांकित-15-06-2026, आवेदिका/अभियुक्ता रेखा की तरफ से, मु०अ०सं०-169/2026, धारा-305(बी), 317(2), 61(2) बी०एन०एस०, थाना-नौबस्ता, कानपुर नगर, के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र अभियुक्ता के पुत्र व पैरोकार दिनेश नाडे की ओर से प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि यह आवेदिका/अभियुक्ता का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र, किसी भी सक्षम न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा द्वारा एक प्रार्थनापत्र, थानाध्यक्ष, थाना नौबस्ता, कानपुर नगर को इस आशय का दिया गया कि प्रार्थिनी रक्षा देवी w/o धरम नारायण, मैं नौबस्ता चौराहे से त्रिमूर्ति अपार्टमेन्ट के लिये ऑटों में बैठी, मेरी पर्स से जेवरात-एक हार, कंगन, 3 अंगूठी, एक चैन एवं झाले किसी ने निकाल लिये, जिसकी जानकारी मुझे घर आने के पश्चात हुई। अतः महोदय से निवेदन है कि सी.सी.टी.वी. फुटेज के माध्यम से मेरी जेवरात हेतु उचित कार्यवाही करें। यात्रा का समय दोपहर 1:15 से 1:40 के बीच था। हरे रंग की साड़ी पहने हुए थी एवं साथ में बेटा था।

3. आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि शपथकर्ता की माता एक सीधी साधी शान्तप्रिय कानून को मानने एवं पालन करने वाली महिला हैं। थाना नौबस्ता की पुलिस द्वारा एक सुनियोजित योजना के तहत फर्जी तलाशी व संयुक्त जब्ती की घटना दिखाकर, अज्ञात के विरूद्ध दर्ज मु०अ०सं० 169/26, धारा 303(2) बी०एन०एस० के मामले में, दिनांक 04.05.2026 को फर्जी जब्ती दिखाकर, संयुक्त फर्द बरामदगी की कार्यवाही के आधार पर, थाना-नौबस्ता में दर्ज चोरी के मुकदमा में सोने के जेवर व नकदी की फर्जी फर्द बरामदगी/गिरफ़्तारी मेमो तैयार कर उपरोक्त मुकदमें की सह अभियुक्त बना दिया गया है। कथित दिनांक 30.04.2026 समय दोपहर 1:15 से 1:40 के बीच अज्ञात के द्वारा आटो में जेवर चोरी किये जाने की घटना बताते हुए, उक्त मुकदमें की वादिनी मुकदमा द्वारा दिनांक-02.05.2026 को रात्रि 11:29 बजे, थाना नौबस्ता में मुकदमा दर्ज कराया गया था। प्रार्थिनी/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं हैं। कथित समय, कथित घटनास्थल पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता के उपस्थित होने का कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है, न ही प्रार्थिनी/अभियुक्ता को कथित घटना स्थल से पकड़ा गया, न ही मौके पर कोई बरामदगी थाना पुलिस द्वारा की गयी है। वादिनी मुकदमा द्वारा एफ०आई०आर० अत्यधिक विलंब से सोच समझकर विचार-विमर्श कर दर्ज कराई गयी है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता निर्दोष महिला हैं, उनके द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। थाना पुलिस द्वारा जो भी चोरी/बरामदगी की घटना दिखाई गयी है, वह फर्जी, मनगढन्त, असत्य तथ्यों पर आधारित है। पुलिस द्वारा मिथ्या कहानी गढ़कर गुडवर्क के आशय से उच्च अधिकारियों को खुश करने तथा पुलिसिया फितरत के कारण मामले में आलिप्त कर दिया गया है। प्रार्थिनी द्वारा चोरी की कोई घटना कारित नहीं की गयी, न ही किसी घटना में शामिल रहीं हैं। वास्तविकता यह है कि प्रार्थिनी नौबस्ता चौराहे की सड़क पर खिलौने लगाती हैं। थाना नौबस्ता के पुलिस जन दलालों व मुखबिरों के माध्यम से चौराहे पर अवैध स्टैन्ड व वसूली में लिप्त रहते हैं। चौराहे में जुआ खिलवाते हैं, अवैध कब्जे व अवैध कार्य कराते हैं तथा प्रार्थिनी से पुलिस के दलाल अवैध वसूली करते हैं। थाने की मुखबिरी करने तथा अवैध काम में सहयोग करने का दबाव बनाते हैं। दलालो व पुलिस की मनमानी का व अविधिक गतिविधियों का विरोध करने के कारण, जबरियन पुलिस द्वारा दलालो व मुखबिरों के कहने पर, प्रार्थिनी/अभियुक्ता को

जबरियन थाने के मुखबिरों में रंजिशन मामले में झूठा फंसवा दिया है। पुलिस की बेगारी तथा जबरियन मुखबिरी न करने के कारण तथा पुलिस की मनमानी व अविधिक गतिविधियों का विरोध करने पर, प्रार्थिनी/अभियुक्ता को दिनांक-03.05.2026 को शाम के समय कच्ची बस्ती धर्मकांटा/घर से जबरियन पकड़कर, बाद में फर्जी कहानी बनाकर व कथित चोरी के जेवरात की फर्जी बरामदगी दर्शायी गयी है। अभियुक्ता का सहअभियुक्त आटो चालक से कोई लेना-देना नहीं है, न ही संयुक्त रूप से कोई आपराधिक षडयंत्र कर कोई अपराध कारित किया गया है। मात्र शक के आधार सहअभियुक्त के कथन पर आरोपी बनाकर फर्जी गिरफ़्तारी की गयी है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता की कथित सहअभियुक्त आटो चालक द्वारा कारित अपराध में किसी प्रकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी भागीदारी नहीं है, न ही कथित आटो चालक के साथ गिरफ़्तार किया गया है। कथित धारा-305(बी) बी०एन०एस० के अपराध को करने में, प्रार्थिनी का न कोई सहयोग था, न इरादा था, न ही अपराध को कारित करने का पूर्व कोई आपराधिक षडयंत्र था। इस कारण प्रार्थिनी/अभियुक्ता का सहअभियुक्त द्वारा कारित अपराध से आरोपित नहीं किया जा सकता है, न ही दंडित किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में पुलिस द्वारा चोरी का मुकदमा अज्ञात के विरूद्ध दिनांक-2.05.2026 को पंजीकृत किया गया है, जबकि कथित चोरी की घटना दिनांक 30.04.2026 को दिन के 1:15 बजे की दर्शित की गयी है। वास्तविक मुल्जिमों को छोड़कर प्रार्थनी को पकड़ा गया है। इससे प्रार्थिनी को पुलिस द्वारा उक्त मामले में फर्जी फंसाने की मंशा स्पष्ट होती है। उक्त धारा-305(बी), 317(2) बी०एन०एस० चोरी के माल की बरामदगी का कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं है। मामले के सभी साक्षी पुलिस कर्मचारी हैं, जो विश्वसनीय साक्षी नहीं हैं। थाना पुलिस द्वारा प्रार्थिनी/अभियुक्ता के कब्जे से कोई सामान/जेवर बरामद नहीं किया गया है। थाना हाजा पर फर्जी बरामदगी प्लांट की गयी है। उक्त फर्द में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता पर धारा-305(बी), 61(2), 317(2) बी०एन०एस० का कोई भी अपराध नहीं बनता है, क्योंकि प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा आटो में बैठकर कोई भी चोरी की घटना कारित नहीं की गयी, न ही कथित सहअभियुक्त आटो चालक के साथ मिलकर कोई आपराधिक षडयंत्र कारित किया गया है, न ही वह आटो चालक को जानती व पहचानती है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता के कब्जे से कथित चोरी का कोई माल बरामद नहीं हुआ है, न ही कथित घटना के समय कहीं भी नौबस्ता के आस-पास के किसी सी०सी०टी०वी० कैमरे में या किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के द्वारा भी प्रार्थिनी/अभियुक्ता को नहीं देखा गया है, न ही मौके/घटनास्थल पर पकडा गया है। प्रार्थिनी कभी किसी चोरी की घटना में शामिल नहीं रही हैं। कथित घटना से कोई वास्ता सरोकार नहीं रहा है। थाना नौबस्ता पुलिस द्वारा पूर्व में दर्ज अज्ञात के विरूद्ध मुकदमें का सही खुलासा न करके फर्जी तथ्यों के आधार पर, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव के कारण, दलालों व मुखबिरो की सह पर फर्जी बरामदगी दर्शाकर अज्ञात के विरूद्ध दर्ज चोरी के मुकदमें का फर्जी खुलासा थाना पुलिस द्वारा कर दिया गया है। थाना पुलिस द्वारा दौरान तलाशी/जब्ती/गिरफतारी बी०एन०एस०एस० की धारा-105 तथा 185 तथा 186 की उपधारा 3 व 4 में वर्णित आज्ञापक प्राविधानों का पालन नहीं किया गया है, गिरफ़्तारी व बरामदगी विधि के प्राविधानों की स्पष्ट अवहेलना की गयी है। प्रार्थिनी को गिरफतारी का कारण उनकी भाषा में उन्हें नहीं बताया गया है। प्रार्थिनी हिन्दी भाषा बोलने व समझने में असमर्थ हैं, मूल रूप से महाराष्ट्रियन हैं, मराठी भाषा बोलती व जानती है, यहां पर फुटपाथ पर व मेले में खिलौने आदि बेंचती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक-13.05.2026 को मामला गम्भीर प्रकृति व अपराध गैरजमानतीय होने का कथन कर, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता अत्यन्त गरीब परिवार की महिला है एवं अत्यन्त गम्भीर बीमारी से पीड़ित है। जेल में रहने व इलाज न हो पाने के कारण तबियत खराब हो गयी है। ब्लड प्रेशर व हृदय रोग से पीड़ित है। इलाज चल रहा है। सही इलाज के अभाव में मृत्यु संभाव्य है। प्रार्थनी महिला एवं विधवा है। धारा 480 बी०एन०एस०एस० के परन्तुक का लाभ पाने की अधिकारिणी है। प्रार्थिनी दैनिक मजदूर है तथा परिवार के भरण-पोषण करने का पूर्ण दायित्व प्रार्थिनी पर ही है। अन्य कोई कमाने वाला नहीं है। जमानत न मिलने पर परिवार पर भरण-पोषण का संकट आ जावेगा। दिनांक-04.05.2026 से जिला कारागर कानपुर में निरूद्ध है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थिनी/ अभियुक्ता उचित प्रतिभू/बंधपत्र देने हेतु तैयार है, जमानत मिलने पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता न्यायिक कार्यवाही कभी बाधित नहीं करेगी, न ही फरार होगी और न ही जमानत का दुरूपयोग करेगी, न ही साक्ष्य व साक्षियों को प्रभावित करेगी, सदैव न्यायिक प्रकिया में शामिल होगी, उचित प्रतिभू/बंधपत्र रिहा किया जाना न्यायसंगत एवं उचित है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्ता द्वारा, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर, आपराधिक षडयंत्र के तहत, ऑटो में सफर करने के दौरान वादिनी मुकदमा के पर्स से एक हार, कंगन, 3 अंगूठी, एक चेन एवं झाले चोरी कर लिया गया, जिन्हें अभियुक्ता चोरीशुदा जानते हुए अपने कब्जें में रखे थी तथा गिरफ्तारी के समय चोरीशुदा माल में से अभियुक्ता के कब्जे

से पीली धातु की एक चेन व पीली धातु का एक हार, की बरामदगी की गयी। अभियुक्ता द्वारा, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. उक्त जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवायी हेतु, संबंधित प्रकरण की मूल पत्रावली, संबंधित न्यायालय से, तलब होकर, संलग्न है।

6. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा तलबशुदा पत्रावली व अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्र/केस डायरी के पर्चों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्ता रेखा पर, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर, आपराधिक षडयंत्र करते हुए, ऑटो में सफर करने के दौरान, वादिनी मुकदमा के पर्स से एक हार, कंगन, 3 अंगूठी, एक चैन एवं झाले चोरी करने, जिन्हें अभियुक्ता द्वारा चोरीशुदा जानते हुए अपने कब्जे में रखे रहने तथा गिरफ्तारी के समय चोरीशुदा माल में से अभियुक्ता के कब्जे से पीली धातु की एक चेन एवं पीली धातु का एक हार, की बरामदगी होने का आरोप, अधिरोपित किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा, अभियुक्ता पर अधिरोपित आरोपों की पुष्टि, संबंधित थाना पुलिस द्वारा की गयी विवेचना के दौरान लिये गये, गवाहों के बयानात अंतर्गत धारा-180 बी.एन.एस.एस., अभियुक्ता के कब्जे से बरामद किये गये माल मुकदमाती व अन्य साक्ष्य से होना पाते हुए, संबंधित थाना पुलिस द्वारा अभियुक्ता व सहअभियुक्तगण के विरूद्ध धारा-305(बी),317(2),61(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत आरोपपत्र संख्या-167/2026, दिनांकित-08.05.2026 तैयार कर न्यायालय प्रेषित किया गया, जिस पर सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2026 को संज्ञान लिया जा चुका है। अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में एवं दो दिन के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्ता की गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया है। यद्यपि कि अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियुक्ता का एक अन्य आपराधिक मुकदमें का आपराधिक इतिहास दर्शित किया गया है, किंतु अभियुक्ता पर अधिरोपित समस्त धाराएं/प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं तथा प्रकरण में विवेचना समाप्त होकर, आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित हो चुका है एवं अब कोई साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शेष नहीं रह गयी है तथा मामले के सहअभियुक्तागण की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी हैं एवं अभियुक्ता प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक-04.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध चल रही है। अतः प्रकरण के उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष के सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय की राय में आधार जमानत पर्याप्त पाया जाता है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अभियुक्ता **रेखा** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार अभियुक्ता द्वारा मुबलिग **50,000-50,000/-रूपये** के दो प्रतिभू व समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर, अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जाये। अभियुक्ता द्वारा इस आशय की अण्डरटेंकिग प्रस्तुत की जाये कि- वह विचारण में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी, साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, साक्षियों से प्रतिपरीक्षा करने में विलंब नहीं करेगी और न ही साक्षियों को किसी भी प्रकार से डराते अथवा धमकाते हुए, प्रभावित करेगी।

इस आदेश की एक प्रति जिला कारागार, कानपुर नगर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित की जाए। अधीक्षक, जिला कारागार, कानुपर नगर इस आदेश से अभियुक्त को सूचित करें तथा उक्त जमानत आदेश उत्तर प्रदेश ई-प्रिजन वेबसाइट पर अपलोड करें।

(रघुबर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-22,
कानपुर नगर।
ID No.UP1690

04.07.2026

Digitally signed by RAGHUBAR SINGH
Date: 2026.07.06 12:03:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court